

व्यक्ति का नाम म जांच की गई। गिराके अनुसार जमाबंदी संख्या 2015-18 के खता संख्या 222 में आवासीय, लोड पानपुत्र, शाननडाई में चमरामपु. लडमगाग, निवासी लीयल हो अतः जमाबंदी संख्या 2015-18 में चमरामपु. लडमगाग का देह खता संख्या 222 में चमरामपु. लडमगाग निवासी लीयल शुद्ध किया जाकर विधीकरण कार्य उक्त है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

प्रशासनिक कार्य के लिए अभियान

25/10/2021
2021

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेचन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभियान की जाती है /की जाती है।

22/10/2021
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
-- आदेश :-

दिनांक :- 27/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	होवली	2015-2018	222	चमरामपु. लडमगाग निवासी लीयल 2018	चमरामपु. लडमगाग निवासी लीयल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

27/10/2021
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
दिनांक :- 27/10/2021

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 451-52
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

27/10/2021
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी (झुंझुनू)